वर्ष 3 अंक 3 मार्च 1981 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सार्वजनिक उद्योग में 11 मार्च को हड़ताल

3 मार्च को देशव्यापी प्रदर्शन

देश भर में मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियन आंदोलन पर हो रहे हमलों का जवाब देने के लिए कार्रवाई का कार्यक्रम तैयार करने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों की एक बैठक 22 फरवरी को नार्थ एवेन्यू एम. पी. क्लब में हुई. बैठक में 105 मजदूर प्रतिनिधियों ने भाग लिया. श्रीमती गांधी के दोबारा सत्ता में आने के बाद यह राष्ट्रीय मजदूर नेताओं की पहली बैठक थी.

एच. एम. एस. के महासचिव शांति पटेल ने बैठक की अध्यक्षता की. लगभग 20 वक्ताओं ने बैठक में भाषण दिये व मजदूर वर्ग पर बढ़ रहे हमलों का जवाब देने के लिए एकजुटता की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने बंगलोर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के कर्मचारियों की दो महीनों से चली आ रही हड़ताल, जीवन बीमा निगम अध्यादेश, जी. आई. सी. पर गजट अधिसूचना, लोको कर्मचारियों का दमन, वेतन जाम के प्रयत्न आदि मुद्दों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला.

सीटू सचिव एम. के. पंधे ने बैठक में प्रस्ताव पेश किया जिसमें मजदूर वर्ग से अपील की गई थी कि वे 11 मार्च को सांकेतिक हड़ताल, 3 मार्च को देशव्यापी प्रदर्शनों व 27 फरवरी को प्रधानमंत्री के निवास के बाहर धरना आयोजित करें. बी. एम. एस. के ओ. पी. अग्घी ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

बैठक में बोलने वाले वक्ताओं में प्रमुख थे एटक के महासचिव इंद्रजीत गुप्त, आल इंडिया इंश्योरैंस एंप्लाईज एसोसियेशन के महासचिव सरोज चौधरी, आल इंडिया बैंक एंप्लाईज एसोसियेशन के अध्यक्ष प्रभात कार, कनफेडरेशन आफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाईज एंड वर्कर्ज एसोसियेशन के महासचिव एस. के. व्यास, आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के यशपाल कोहली, आल इंडिया डिफेंस एंप्लाईज फेडरेशन के एस. एम. बनर्जी, एच. एम. एस. के उपाध्यक्ष बाल दंडवते, ज्वाइंट एक्शन फ्रंट के संयोजक माइकेल फर्नान्डीज, एटक के उपाध्यक्ष के. जी. श्रीवास्तव तथा टी. यू. सी. सी. के चित्त बसु.

नीचे हम यह पूरा प्रस्ताव दे रहे हैं—

एटक, एच. एम. एस., सीटू, बी.एम.एस., टी.यू.सी.सी. तथा बीमा, रेलवे, रक्षा, तेल, उर्वरक, कोयला, इस्पात, समाचारपत्र, गोदी व बंदरगाह तथा अन्य उद्योगों की फेडरेशनों के प्रतिनिधि भारत सरकार द्वारा देश के मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रति जानबूझकर अपनाए जा रहे शत्रुतापूर्ण रूख के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं. सरकार द्वारा अपनाए जा रहे इस दुर्भाग्यपूर्ण रवैये के कारण यह जरूरी हो गया है कि हम मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के तमाम पहलुओं की समीक्षा करें. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान बैठक बुलाई गई है.

हालांकि सरकार के प्रतिनिधि यह आश्वासन देते हैं कि बदनाम भूतलिंगम कमेटी को रिपोर्ट सरकार अस्वीकृत कर चुकी है किंतु फिर भी इस रिपोर्ट के कई पहलुओं को लागू करने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है. सरकार ने बंगलोर-स्थित उद्योगों की ट्रेड यूनियनों से किए गए समझौते को नकार दिया है जिसके कारण इन उद्योगों के कर्मचारियों के लिए 26 दिसबंर से हड़ताल पर जाने के अलावा कोई रास्ता न बचा

26 मार्च को अखिल भारतीय किसान रैली

है और यह हड़ताल अभी तक जारी है. इस हड़ताल के बारे में सरकार ने मजदूर-विरोधी व कड़ा रुख अपना रखा है और समझौते करवाने के लिए प्रस्तावित ट्रेड यूनियनों के कई सुझावों को वह ठुकरा चुकी है.

बंगलोर, हैदराबाद, कालामासेरी, नासिक, कोरापुर, कानपुर, लखनऊ, बैरकपुर आदि स्थानों पर आई. टी. आई., एच. एम. टी., एच. ए. एल., बी. ई. एल., बी. ई. एम. एल., ई. सी. आई. एल., मिधानी तथा अन्य संस्थानों के 1 लाख 25 हजार मजदूरों की लंबी व कठिन हड़ताल देश भर के ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए चुनौती है. यह बैठक बंगलोर तथा अन्य केंद्रों के बहादुर मजदूरों को बधाई भेजती है व यह आदर्श एकता आगे भी बनाए रखने का आह्वान करती है.

कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों (जैसे बी. एच. पी. वी., एच. सी. एल., हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स आदि) में सरकार ने मजदूरों को भेल के बराबर मजदूरी देना मान लिया था किंतु हालांकि भेल समझौते को एक वर्ष से अधिक बीत गया है, सरकार ने इन संस्थानों के मजदूरों को दिए गए वायदे को पूरा नहीं किया है. हिंदुस्तान केबल्ज के मजदूर 5 फरवरी से हड़ताल पर हैं और उनकी मुख्य मांग है कि इसी प्रकार की एक धारा उनके समझौते में भी जोड़ दी जाय. किंतु सरकार इस जायज मांग को मानने से इंकार कर रही है.

जीवन बीमा निगम पर जारी किया गया अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में दिए गए फैसले को नकारकर देश की पूरी न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाता है. यह बदनाम अध्यादेश केंद्र सरकार को यह अधिकार दे देता है कि वह एकतरफा रूप से बीमा कर्मचारियों की मजदूरी व सेवा शर्तों को निश्चित करे. यह अध्यादेश सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत पर भी चोट करता है जो कि ट्रेड यूनियनों का बुनियादी अधिकार है. इस संदर्भ में सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को कम करने व मजदूरों के बोनस के अधिकार को वापिस लेने वाली अधिसूचनाएं जारी करना सरकार के इरादे को साफ जाहिर करता है. इसी प्रकार की एक अन्य अधिसूचना द्वारा सरकार ने 1 जनवरी 1979 से जी. आई. सी. कर्मचारियों की सेवाशर्तों को एकतरफा रूप से बदलकर कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाया है.

राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट को भी सरकार यूनियन नेताओं व आम मजदूरों के खिलाफ बार-बार प्रयोग करती रहती है. इस संदर्भ में सरकार अपने ही द्वारा दिए गए आश्वासन कि इस एक्ट को ट्रेड यूनियनों व मजदूरों के खिलाफ प्रयोग नहीं किया जायगा को नकार रही है.

मजदूरों के संघर्षों के दौरान सरकार द्वारा बदले की भावनाओं से की जाने वाली कार्रवाई के उदाहरण दिनों-दिन बढ़ रहे हैं. हाल ही में चल रहे लोको कर्मचारी संघर्ष के दौरान 500 लोको कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया व इतने ही अन्य कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर दिया. दमन व आतंक का वातावरण तैयार करके बड़ी संख्या में लोको मजदूरों को गिरफ्तार किया गया जिसके फलस्वरूप कई नेताओं व कार्यकर्त्ताओं को भूमिगत होना पड़ा. यहां तक कि मजदूरों की पत्नियों को भी नहीं बख्शा गया व हिरासत में रखा गया. भारत इलेक्ट्रोनिक्स, गाजियाबाद के मजदूरों पर 19 फरवरी को लाठीचार्ज हुआ व बाद में गिरफ्तार कर लिया जबकि वे अभी हड़ताल पर गए भी नहीं थे. लखनऊ में एच. ए. एल. मजदूरों पर भी लाठी-प्रहार हुआ जिसके कारण 35 मजदूर घायल हुए.

ऐसी परिस्थिति में यदि ट्रेड यूनियनें एकता स्थापित नहीं करतीं व मजदूर वर्ग की रोजी व उनके ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों की रक्षा करने के लिए सामने नहीं आतीं तो हालात बदतर हो जाने की संभावना है. इस कारण केंद्रीय ट्रेड यूनियनें व राष्ट्रीय फेडरेशनें सभी ट्रेड यूनियनों से अपील करती हैं कि वे इस हमले का एकजुटता से सामना करें व निम्नलिखित मांगों के समर्थन में आंदोलन छेड़ने के लिए तैयारी करें—

—बंगलोर स्थित उद्योगों की यूनियनों के प्रतिनिधियों से बातचीत फिर शुरू की जाए.

—एल. आई. सी. अध्यादेश व जी. आई. सी. गजट अधिसूचना को वापिस ले लिया जाए.

—सभी विक्टिमाइज्ड रेलवे कर्मचारियों को नौकरियों में बहाल कर दिया जाए तथा विभिन्न एक्टों के तहत गिरफ्तार किए गए सभी कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए.

—ट्रेड यूनियन व सामूहिक सौदेबाजी के पूरे अधिकार दिए जाएं.

—वेतनजाम के प्रयत्नों को समाप्त किया जाए.

यह बैठक सभी ट्रेड यूनियनों से अपील करती है कि वे इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए आंदोलनात्मक कार्यक्रम को अपनाएं—

1. 27 फरवरी 1981 : केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, दिल्ली यूनियनों व संसद सदस्यों द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास पर धरना.

2. 3 मार्च 1981 : सभी उद्योगों व सरकारी व निजी संस्थानों की यूनियनों के सदस्यों द्वारा प्रदर्शन, बैठकें, काले बैज लगाना इत्यादि.

3. 11 मार्च 1981 : ऊपर दी गई मांगों के समर्थन में सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों के कर्मचारियों की 1 दिन की देशव्यापी हड़ताल.

बैठक सभी यूनियनों से अपील करती है कि वे बंगलोर-स्थित उद्योगों के कर्मचारियों के संघर्ष की सहायता करने के लिए उदारतापूर्वक धन दें जिससे कि यह संघर्ष तब तक चलता रहे जब तक इसकी जायज मांगें मान न ली जाएं.

स्थिति की समीक्षा करने के लिए तथा आंदोलन का अगला कार्यक्रम बनाने के लिए यह बैठक फैसला करती है कि अप्रैल से पहले नई दिल्ली में सभी ट्रेड यूनियनों का अखिल भारतीय कनवेंशन बुलाया जाय. यह बैठक आशा करती है कि मजदूर इस अपील का स्वागत करेंगे व प्रस्तावित कनवेंशन को सफल बनाने में पूरा सहयोग देंगे. □

जीवन बीमा निगम अध्यादेश की सीटू द्वारा आलोचना

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 1 फरवरी को एक बयान में कहा कि एल आई सी कर्मचारियों के बोनस के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने उचित ठहराया था और कोर्ट के इस फैसले को शिकस्त देने की नीयत से सरकार ने यह अध्यादेश थोपा जिसके जरिए एल आई सी कर्मचारियों की सेवा शर्तों और सेवा स्थितियों में संशोधन करने का अधिकार हासिल कर लिया है और यह 20 जून 1979 से लागू होगा. सरकार का यह कदम न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर धूल डालता है तथा औद्योगिक विवाद कानून के सभी प्रावधानों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करता है बल्कि सामूहिक समझौते की सिद्धांत की ही जड़ खोदता है. बीमा पालिसी धारियों के हितों की रक्षा के नाम पर वेतन भोगियों पर यह तानाशाही पूर्ण आक्रमण है.

सीटू ने कर्मचारियों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सरकार के इस तोड़फोड़ के रवैये की भर्त्सना करती है और चेतावनी देती है अगर सरकार ऐसे कर्मचारी विरोधी कदम उठाएगी तो संगठित मजदूर वर्ग का आंदोलन मूक दर्शक बना नहीं बैठा रहेगा.

सीटू जनता से अपील करती है कि वह सरकार की एल आई सी कर्मचारियों के खिलाफ पालिसी धारियों को खड़ा करने की साजिशों को समझें. यह सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और जनवादी जनसंगठनों से भी अपील करती है कि वे इस काले अध्यादेश के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें.

ट्रेड यूनियनों द्वारा अध्यादेश को खत्म करने की मांग

सीटू सचिव एम. के. पंधे, एटक महासचिव इंद्रजीत गुप्त, एच एम एस महासचिव शांति पटेल तथा बी एम एस महासचिव राम नरेश सिंह ने 8 फरवरी को जारी एक बयान में एल आई सी अध्यादेश की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह अध्यादेश सामूहिक समझौते की जड़ को खोदता है और कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में दिए गए फैसले का उल्लंघन करता है.

केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं ने इस अध्यादेश के तुरंत खात्मे की मांग की है. एल. आई. सी. कर्मचारियों को उनके एकजुट संघर्ष पर बधाई देते हुए उन्होंने सभी मजदूर वर्गों को इस कर्मचारी-विरोधी अध्यादेश के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया जिससे सरकार को मजबूरन इन कार्यवाहियों को खत्म करना पड़े.

एल आई सी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल

एल आई सी कर्मचारियों ने इस अध्यादेश के विरोध में 2 और 3 फरवरी को ए आई आई ई ए और एल आई सी के अन्य संगठनों के नेतृत्व में 48 घंटे की अखिल भारतीय हड़ताल की और 5 फरवरी को कर्मचारियों ने गजट नोटीफिकेशन के खिलाफ हड़ताल की. 24 फरवरी को कर्मचारियों ने संसद में एल आई सी बिल को पेश किए जाने के खिलाफ पुनः हड़ताल की. 23 फरवरी को डी एम के और मुस्लिम लीग के अलावा सभी विपक्षी सांसदों ने बिल के खिलाफ संसद से वाक आउट किया. □

रेल भाड़े में वृद्धि का सीटू द्वारा विरोध

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 20 फरवरी को निम्नलिखित प्रेस वक्तव्य जारी किया—

केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा 19 फरवरी को संसद में रेलवे बजट प्रस्तुत करते हुए यात्री व सामान भाड़े में घोषित असामान्य वृद्धि का सीटू जोरदार विरोध करती है पिछली 16 जून को ही 204.24 करोड़ रुपयों की भाड़ा वृद्धि की गई थी. उस समय भी सीटू ने इस वृद्धि का विरोध किया था व कहा था कि यह केवल अंतरिम वृद्धि है व कुछ समय बाद भाड़ों में दुबारा वृद्धि की जाएगी. हमारा अनुमान ही सिद्ध हुआ. अब पिछली वृद्धि के कुछ महीनों बाद ही 256.26 करोड़ रुपये की वृद्धि आम जनता पर थोप दी गई है. अखबारों की टिप्पणियों के अनुसार अभी और वृद्धि की संभावना है. रेलवे मंत्री ने इस बार खाद्य पदार्थों, गेहूं, चीनी, दालें, मिट्टी का तेल, खाने का तेल, खाद इत्यादि अनिवार्य वस्तुओं को भी नहीं छोड़ा जो कि आम आदमी प्रयोग में लाता है. इससे पहले के बजट प्रस्तावों में इन जरूरी वस्तुओं पर कोई कर इत्यादि नहीं लगाए जाते थे जिससे कि मंडी में इनकी कीमतों में वृद्धि न हो. साफ जाहिर है कि इस बजट द्वारा इन जरूरी वस्तुओं के भाड़े में वृद्धि के फलस्वरूप बाजार में इनके मूल्य बढ़ जाएंगे. आश्चर्य की बात है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बजट प्रस्ताव से होने वाली आय मूल्य वृद्धि को नकार रहे हैं व कह रहे हैं कि इसका असर "न्यूनतम" होगा. सही बात तो यह है कि यह बजट प्रस्ताव दोहरी तलवार के समान है एक ओर तो ये मजदूर वर्ग की वास्तविक मजदूरी को कम करता है व दूसरी ओर किसानों द्वारा लंबे संघर्षों के बाद फसलों के लिए प्राप्त किए गए बेहतर मूल्यों को व्यर्थ कर देता है.

बजट प्रस्तावों का उद्देश्य एक निकम्मे व मजदूर-विरोधी रेलवे प्रशासन को सहारा देना है जो रेलवे मजदूरों के साथ सहयोग करने के बजाय उनका दमन करके रेलों का चलाना चाहते हैं. लोको कर्मचारियों के साथ किया जा रहा उनका बर्ताव इसका एक ताजा उदाहरण है.

सीटू तमाम मजदूर वर्ग व किसानों का आह्वान करती है कि वे रेल भाड़े में की जा रही वृद्धि का विरोध करें. यह सभी केंद्रीय ट्रेड संगठनों व किसान संस्थाओं से अपील करती है कि वे सरकार को अपनी उन नीतियों को बदलने को मजबूर कर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों, एकाधिकारी घरानों, बड़े पूंजीपतियों व भूस्वामियों पर कर लगाकर साधन जुटाने के बजाय आम जनता पर कमरतोड़ महंगाई का भार डाल रही है. □

लोको कर्मचारियों की हड़ताल वापिस, लेकिन हौसले बुलंद हैं

रेलवे के लोको रनिंग स्टाफ मजदूरों का लंबा संघर्ष 24 फरवरी को वापिस ले लिया गया और मजदूरों को 25 फरवरी से काम पर दुबारा जाने को कहा गया. याद रहे कि लोको मजदूरों का यह संघर्ष खुरदा रोड डिवीजन में 46 दिन पहले, मध्य रेलवे में एक महीना पहले, दक्षिण-पूर्व रेलवे में 35 दिन पहले, दक्षिण रेलवे में 31 दिन पहले तथा पूरे देश में 27 दिन पहले आरंभ किया गया था. यह तथ्य कि विभिन्न क्षेत्रों में हड़ताल अलग-अलग तरीकों से आरंभ हुई जाहिर करता है कि लोको मजदूरों पर दमन करने का इरादा सुनियोजित व पूर्व-निर्धारित था तथा इन विभिन्न क्षेत्रों के लोको मजदूरों के पास अपने साथियों पर हो रहे दमन का मुकाबला करने के सिवा कोई रास्ता न था. उदाहरण के लिए तालचेर में लोको मजदूरों के पास संघर्ष पर जाने के अलावा और क्या रास्ता बच गया था जब उनकी औरतों पर हमले किए गये और उनके अफसरों ने इस बारे में उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान न दिया. जब मजदूरों ने स्वयं इस दमन का विरोध किया तो उन्हें विक्टिमाईज किया गया. कोई भी मजदूर संगठन तब चुप नहीं रह सकता जब 9 रेलवे केंद्रों में से 3 केंद्रों के मजदूर हड़ताल पर जाने पर मजबूर हो जाते हैं. लोको मजदूरों की हड़ताल को वापिस लेते हुए ए. आई. एल. आर. ए. के महासचिव एस. के. धर ने एक बयान में कहा है कि लोको मजदूरों के संघर्ष को फिलहाल इसलिए वापिस लिया जा रहा है क्योंकि यह मुद्दा संसद में विशेष बहस के लिए उठाया जा रहा है तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फैडरेशनों ने विक्टिमाइजेशन के खिलाफ आंदोलन करने का देश व्यापी कार्यक्रम तैयार किया है.

इस संघर्ष के दौरान लोको मजदूरों पर जो दमनचक्र चलाया गया वह अभूतपूर्वक था. हड़ताल को वापिस लिए जाने तक 1500 से अधिक मजदूरों को या तो नौकरी से निकाला जा चुका था या जबरन रिटायर किया जा चुका था. 500 मजदूरों को जेलों में ठूंसा जा चुका था व इनमें से 20 से अधिक मजदूरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत रखा गया था, एल.आर.एस.ए. के दफ्तर पर पुलिस ने कब्जा कर लिया था व वहां से 50 हजार से अधिक कीमत का फर्नीचर इत्यादि लिया जा चुका था तथा बहुत बड़ी संख्या में लोको मजदूरों को उनके रिहायशी क्वाटरों से निकाला जा चुका था. जून 1980 में सांपला (उत्तरी रेलवे) में रोहतक के एस.एच.ओ. ने एक ड्राइवर को बुरी तरह पीटा था जिसके विरोध में लोको मजदूर तब हड़ताल पर गए थे. वर्तमान संघर्ष का लाभ उठाकर पुलिस ने उस ड्राइवर को अपने वहशियाना हमलों का विशेष केंद्र बनाया. बहुत से मजदूरों को पुलिस की विशेष निगरानी में रखा गया जिसमें पुलिस का प्रयोजन उनकी रक्षा करना नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश का भय दिखाकर उनसे बेगार लेना था. दमन व आतंक के बावजूद लोको मजदूरों ने संघर्ष जारी रखा. दक्षिण-मध्य रेलवे के एक ड्राइवर वेंकटेश्वरालु की पुलिस ज्यादतियों के कारण मृत्यु भी हो गई.

रेलवे अधिकारियों ने पहले तो दावा किया कि लोको हड़ताल बुरी तरह असफल हो गई है और केवल 2 प्रतिशत मजदूरों ने इसमें भाग लिया. किंतु फिर गाड़ियां चलाने के लिए अधिकारियों ने गैर-प्रशिक्षित व रिटायर्ड कर्मचारियों को काम पर बुला लिया. अन्य संघर्षों की भांति इस संघर्ष को दबाने के लिए प्रादेशिक सेना का सहारा लिया गया. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रादेशिक सेना, जिसके गठन व संचालन का उद्देश्य कुछ और ही था, का प्रयोग आज मेहनतकश लोगों के संघर्षों को दबाने में होता है. लोको हड़ताल के बारे में रेल मंत्री ने 17 फरवरी को लोक सभा में बयान दिया. 19 व 26 फरवरी को इस विषय पर पूछे गये प्रश्नों को या तो यह कहकर टाल दिया गया कि इनका उत्तर बयान में दे दिया जा चुका है और या यह कहा गया कि इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है. बार-बार प्रश्न पूछे जाने पर यह स्वीकार किया गया कि 16 फरवरी को 240 जोड़े मुसाफिर गाड़ियां रद्द की गई जो कि रोज चलने वाली गाड़ियों का 25 प्रतिशत है. इससे जाहिर है कि एसोसियेशन का यह दावा कि 50 हजार मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया था और हड़ताल वापस लिए जाने वाले दिन भी 30 हजार लोको मजदूर हड़ताल पर थे सही है.

हड़ताल के समय के दौरान कई रेल दुर्घटनाएं घटी. इनमें से अधिकतर दुर्घटनाएं होने का कारण गैर-प्रशिक्षित लोगों से गाड़ियां चलवाना व रेलवे सुरक्षा के नियमों की अवहेलना करना था. एसोसियेशन के महासचिव के अनुसार सियालदाह डिवीजन में 5 दुर्घटनाएं व अलीपुरद्वार डिवीजन में 3 दुर्घटनाएं हुई. उन्होंने बताया कि वह मालगाड़ी जिसके कारण वनियमबदी डिवीजन में ती दुर्घटनाएं हुई गैर-प्रशिक्षित ड्राइवर ही चला रहे थे. यदि लोक सभा में लोको हड़ताल पर बहस की अनुमति दे दी जाती है, जैसा कि कई संसद सदस्यों ने मांग की है, तो कई और तथ्य सामने आ सकते हैं.

लोको कर्मचारी पुनः काम पर आ गए है हांलाकि उनके 1500 से अधिक साथी अभी बाहर ही हैं. लेकिन उनकी संघर्ष की भावना कम नहीं हुई हैं. कई केंद्रों में वे जुलूस की शक्ल में व नारे लगाते हुए काम पर लौटे. इससे जाहिर हैं कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है व उनके हौसले बुलंद हैं. □

सीटू सचिव मंडल की बैठक

सीटू के पदाधिकारियों की एक बैठक सीटू केंद्रीय कार्यालय में 17 मार्च को सुबह साढ़े दस बजे होगी.

फाइजर कर्मचारियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को समझौते के लिए मजबूर किया

बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी फाइजर लिमिटेड के 1,500 मजदूरों की साढ़े तीन महीने से चली आ रही हड़ताल ने इस कपनी के प्रबंधकों को मजदूरों के साथ समझौता करने पर बाध्य कर दिया. 31 जनवरी को प्रबंधकों व मजदूरों के बीच जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए वह मजदूरों की जीत का प्रतीक है.

हड़ताल का मुख्य कारण था प्रबंधकों द्वारा थाने स्थित फैक्ट्री में सूक्ष्म किस्म की मशीनों को लगाना जिसके फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में मजदूर बेकार हो गए. प्रबंधकों ने मशीनीकरण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की धमकी दी थी. याद रहे कि कंपनी के 76 प्रतिशत सामान्य शेयर अमरीका में है. कपनी का उत्पादन 1968 में 14 करोड़ रुपये से बढ़कर 1979 में 46 करोड़ रुपये हो गया जिसके परिणामस्वरूप इसका लाभ 3.7 करोड़ से बढ़कर 7.59 करोड़ हो गया. किंतु इस सारे समय के दौरान इसके कार्यालय व फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 1180 ही बनी रही. 1968 में कंपनी ने 80 अस्थायी मजदूरों को नौकरी दी व उसके बाद हर वर्ष अस्थायी कर्मचारियों की ही भर्ती होती गई. 1979 में इनकी संख्या 517 तक हो गई. किंतु 1978 में ही कंपनी ने सभी अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी कर दी. यह मशीनीकरण की प्रक्रिया का परिणाम था.

इस प्रकार यह कंपनी न केवल रोजगार संभावनाओं को कम करती गई बल्कि धीरे-धीरे अपने कर्मचारियों की संख्या भी घटाती गई. इसके साथ-साथ यह कंपनी दवाओं का उत्पादन स्वयं न कर छोटे उद्योगों से करवाती है व बाद में इन पर फाइजर की मुहर लगाकर इन्हें बाजार में बेचती है. इस प्रकार इन उत्पादित वस्तुओं की कीमतें फाइजर के स्तर पर निर्धारित होती है जबकि असल में इनका निर्माण छोटे उद्योगों में होता है जिनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतें उनके स्तर के अनुसार काफी कम होनी चाहिए. जाहिर है कि यह सरकार की आंखों में धूल झोंककर अधिक मुनाफा कमाने का हथकंडा है.

इसके अतिरिक्त इस कंपनी के प्रबंधकों ने महंगाई भत्ते की मजदूरों की जायज मांग को नकारने के लिए इस पर उच्चतम सीमा थोप दी.

इन दो मुद्दों पर कंपनी के मजदूरों ने 15 अक्तूबर 1980 से अनिश्चित-कालीन हड़ताल कर दी. फाइजर के मजदूरों के समर्थन में बम्बई-थाने क्षेत्र के दवा उद्योगों में काम करने वाले 5 हजार मजदूरों ने 12 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया. किंतु महाराष्ट्र सरकार ने खुले रूप से फाइजर प्रबंधकों का साथ दिया.

फाइजर प्रबंधकों ने सरकार से मिलीभगत कर 'मजदूर कांग्रेस' नाम से एक समानांतर ट्रेड यूनियन गठित करने का प्रयत्न किया किंतु नाकाम रहे. ऐसा करने में उनका उद्देश्य मजदूरों की एकता को तोड़ना था. हड़ताली मजदूरों को तंग किया गया व झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया. पुलिस अधिकारियों के इस दमनकारी रवैये का विरोध करने के लिए थाने में फैक्ट्री के सामने एक विशाल प्रदर्शन किया गया. राज्य के डी. आई. जी. के पास एक मोर्चा ले जाया गया व उनसे मांग की गई कि दमन के लिए दोषी अधिकारियों का ट्रांस्फर कर दिया जाए.

हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में आल इंडिया केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एंप्लाईज फेडरेशन की महाराष्ट्र शाखा ने 9 दिसंबर को 'दवा उद्योग बंद' आयोजित किया. 10 हजार मजदूरों का एक मजबूत मोर्चा कंपनी के मुख्य कार्यालय पर पहुंचा और वहां एक रैली में बदल गया इस रैली में सीटू सहित कई ट्रेड यूनियन के नेताओं ने भाषण दिया. फेरा एक्ट के अनुसार विदेशी कंपनी होने के कारण फाइजर लिमिटेड को विदेशी शेयर 50 प्रतिशत से कम करने चाहिएं. किंतु अफसोस की बात है कि केंद्र व महाराष्ट्र सरकारें इस कंपनी को ऐसा करने को राजी नहीं कर पाई हैं.

इस बीच कंपनी ने टेट्रासाइकिलीन, स्ट्रेप्टोमाइसीन, आई.एन.एच., पी.ए.एस., तथा अन्य कई जीवनरक्षक दवाओं का निर्माण करना आरंभ कर दिया है. किंतु इन दवाओं के उत्पादन में ठेका व अस्थाई मजदूरों को लगाया जाता है. साथ ही इन दवाओं के निर्माण में उत्पादन के नियमों व स्तर पर ध्यान नहीं दिया जाता जिससे इन दवाइयों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य व जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है. अभी तक दवा निरीक्षण अधिकारियों ने इस मामले में जांच नहीं की है.

23 जनवरी को फाइजर की थाने स्थित फैक्ट्री के सामने सैकड़ों मजदूर एकत्र हुए और उन्होंने अपने 100 दिन पुराने संघर्ष को जारी रखने के संघर्ष को दोहराया. इसी दिन सुबह साढ़े सात बजे जब और मजदूर प्रदर्शन में भाग लेने आ रहे थे तो पुलिस ने इन पर हमला बोल दिया. पुलिस की लाठियों से बहुत से मजदूर घायल हो गए. यहां तक कि औरतों को भी नहीं बख्शा गया. पुलिस के हमले से कई औरतों के मंगलसूत्र टूट गए. गिरफ्तार किये गए मजदूरों में 6 औरतें भी थीं. उसके बाद पुलिस अत्याचार के विरोध में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें सीटू वकिंग कमेटी की सदस्या अहिल्या रंगनेकर व सीटू उपाध्यक्ष एस. वाई कोल्हतकर ने पुलिस बर्बरता की निंदा की. वे पुलिस अधिकारियों से भी मिले व पुलिस के निर्दयी व्यवहार के खिलाफ शिकायत की. प्रबंधकों व पुलिस की सांठगांठ अन्य तथ्यों के अलावा इस बात से भी साफ जाहिर थी कि प्रबंधकों ने पुलिस अफसरों को एम. एम. एफ 5710 नंबर की गाड़ी प्रयोग के लिए दे रखी थी.

अत्याचारों व कठिनाइयों के बावजूद देश भर के फाइजर मजदूर एकजुट होकर संघर्ष करते रहे. मजबूर होकर सरकार को मजदूरों की मांगों के आगे झुकना पड़ा. मजदूर 2 फरवरी से काम पर लौट आए हैं. समझौते की खुशी में उन्होंने फाइजर के हर केंद्र पर विजय सभाएं कीं. □

महिला निर्माण मजदूरों की दुर्दशा

आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में लगभग 3 हजार महिला मजदूर भवन-निर्माण उद्योग में विभिन्न ठेकेदारों के पास काम कर रही हैं. ये ठेके सरकार ने प्राइवेट ठेकेदारों को दिए हैं. इस उद्योग में काम कर रहे कुल मजदूरों की संख्या में लगभग 24 प्रतिशत महिलाएं हैं. ये महिलाएं अनियमित मजदूरों के रूप में काम कर रही हैं और इन्हें प्रतिदिन 4 या 5 रुपये मजदूरी दी जाती है. इन्हें मिट्टी उठाने, पत्थर काटने, सीमेंट बनाने, ईंट तोड़ने जैसे गैर-निपुण कामों में लगाया जाता है.

इन महिला मजदूरों में से अधिकतर अनुसूचित जातियों, जनजातियों या अन्य पिछड़े हुए तबकों में से आती हैं. काफी अधिक संख्या में पुरुष मजदूर भी इन्हीं वर्गों से आते हैं. इनमें से अधिकतर गांवों में रहते थे जहां इनके पास थोड़ी-थोड़ी जमीन थी जिसपर वे खेती करते थे. किंतु कर्जा वसूल करने के बहाने जमींदारों व सूदखोरों ने इनकी जमीन इनसे छीन ली. विवश होकर इन्हें मजदूरी पर आना पड़ा. ये मजदूर बचपन से भी मजदूरी कर रहे हैं और इसलिए इनके लिए शिक्षा आदि प्राप्त करने का सवाल ही नहीं उठता.

देश भर में फैली बेरोजगारी व भवन निर्माण उद्योग पर इसके पड़ रहे प्रभाव के कारण ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे शोषण में बढ़ोतरी हो रही है. क्योंकि अधिक से अधिक मजदूर काम पाना चाहते हैं इसलिए ठेकेदार मजदूरी को कम करते रहते हैं. इस प्रकार सस्ती मजदूरी से ही वे अपना काम निकाल लेते हैं जिन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती है. मजबूरी के कारण मजदूरों को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी स्वीकार करनी पड़ती है. अच्छी मजदूरी का लालच देकर ठेकेदार कई महिला मजदूरों का शारीरिक रूप से भी शोषण करते है.

क्योंकि भवन निर्माण का काम स्थायी रूप का काम नहीं है इसलिए अक्सर मजदूरों को वापिस अपने गांव जाना पड़ता है जहां वे खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं. यह काम भी उन्हें बरसात के मौसम में मिला है और वह भी बड़ी मुश्किल से. आमतौर पर इन मजदूरों को वापिस गांव भी नहीं जाने दिया जाता. ठेकेदार इन्हें ऋण के चंगुल में फंसाकर बेकारी के दिनों में भी वहीं रहने पर बाध्य कर देते हैं. गांव जाने का प्रयत्न करने वाले मजदूरों से सख्ती से पेश आया जाता है.

निर्माण मजदूर ओवरटाइम काम करते हैं जिसके पैसे उन्हें नहीं दिए जाते. मकान की सुविधाओं के अभाव में वे पेड़ों के नीचे या झुग्गियों में रहते हैं. ठेकेदारी नियमों के अनुसार जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वे उससे वंचित रहते हैं. यहां तक कि गर्भवती महिलाओं को भी काम करना पड़ता है. उन्हें भय रहता है कि यदि वे काम छोड़ दे तो फिर उन्हें काम नहीं मिलेगा. नियमों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाएं किसी को नहीं मिलती. ठेकेदारी मजदूरों में बाल-मृत्यु की दर बहुत ऊंची है.

इसी प्रकार की हालत 1973 से पोचमपड़ नहर पर काम कर रही 600 महिला मजदूरों की हैं. निर्माण मजदूरों की तुलना में उन्हें केवल एक ही फायदा है और वह यह है कि उन्हें लगातार काम मिलता है. इस प्रकार बेरोजगार रहने की चिंता उन्हें अपेक्षाकृत कम होती है. इन्हें 3 रुपये दैनिक मजदूरी तथा दिन में दो बार भोजन मिलता है. भोजन के रूप में उन्हें 200 ग्राम चावल व इमली का पानी मिलता है जो उनके स्वास्थ्य को खराब करता है. अधिकतर मजदूर कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं. निर्माणस्थल पर चिकित्सा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हैं. पैसे के अभाव में मजदूर खुद कोई दवा नहीं खरीद सकते. आवास के लिए उन्हें झोपड़ियां दे दी जाती हैं जो रहने के काबिल नहीं होती हैं. यहां भी ठेकेदारों द्वारा महिला मजदूरों का शारीरिक शोषण किया जाता हैं.

ऊपर दिए गए दो उदाहरण अपवाद नहीं हैं. देशभर में ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद है. इस उद्योग में मजदूरों को एकजुट होना होगा व अच्छी जिंदगी व अच्छे काम के हालात पाने के लिए संघर्ष करना होगा. उन्हें ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकार मांगने होंगे तथा देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ मिलकर उन्हें ठेकेदारी मजदूर प्रणाली को समाप्त करने की मांग करनी होगी. □

कामगार महिला कनवेंशन

कामगार महिला समिति का एक सम्मेलन 16 फरवरी को फरीदाबाद में हुआ जिसमें 108 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो मुख्यतः मशीन आपरेटर, पैकर्स, हैल्पर्स आदि थी. विमल रणदिवे ने सम्मेलन को संबोधित किया.

रिपोर्ट में, वर्तमान आर्थिक संकट, जीवन-स्तर के बिगड़ते हालत बढ़ते संघर्ष तथा सरकार के दमनात्मक रवैये पर प्रकाश डाला गया. कामगार महिलाओं पर होने वाले शोषण पर तथा सफाई, यातायात, पानी, शिशुगृह आदि सुविधाओं की कमी तथा नौकरी की असुरक्षा पर अनेक वक्ताओं ने प्रकाश डाला.

एक प्रस्ताव के जरिये, सम्मेलन में, राष्ट्रीय सुरक्षा नियम तथा एल आई सी अध्यादेश की आलोचना की गई और आवश्यक वस्तुओं का सरकार द्वारा व्यापार और इसका उचित वितरण, महिलाओं की छंटनी बंद करना, 500 रुपये न्यूनतम वेतन, ठेका मजदूर प्रणाली का खात्मा, पर्याप्त शिक्षण सुविधाएं, महिलाओं पर दमन खत्म करना आदि की मांग की गई. □

सीटू द्वारा नामांकन

न्यूनतम वेतन (सेंट्रल) एडवाइजरी बोर्ड : आर. उमानाथ, एम. एल. ए., महासचिव तमिलनाडु सीटू.

काफी बोर्ड : सी नंजुंदप्पा, महासचिव कर्नाटक सीटू. □

जहां जिंदगी और मौत में बहुत कम फासला है

इस रिपोर्ट में हम मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर के स्लेट पेंसिल उद्योग में काम कर रहे बाल-मजदूरों के अमानवीय शोषण के बारे में कुछ दे रहे हैं. ये बच्चे सिलिकोसिस जैसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं और इनकी मौत निश्चित है. इस इलाके में भुखमरी से बचने के लिए मजदूरों को स्लेट पेंसिल फैक्ट्रियों या खानों में काम करने को मजबूर होना पड़ता है जहां कुछ वर्षों में ही सिलिकोसिस या अन्य भयानक बीमारियों का शिकार होकर उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है.

इस जिले में अधिकृत रूप से 85 स्लेट पेंसिल फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हैं जबकि अनधिकृत फैक्ट्रियों की संख्या बहुत अधिक बताई जाती है. स्लेट पेंसिल उद्योग में श्रम कानूनों की कोई परवाह नहीं की जाती है. सिलिकोन धूल से मजदूरों की रक्षा का कोई उपाय नहीं किया जाता जिसके कारण वे सिलिकोसिस तथा अन्य प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं. इस उद्योग में खानों व फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 4 हजार से अधिक है. इनमें से तीन-चौथाई अस्थाई मजदूर हैं तथा अन्य पीस रेट के आधार पर मजदूरी करते हैं.

मजदूरों में कटर (काटने वाले) मजदूरों की हालत सबसे अधिक शोचनीय है. असामयिक रूप से मरने वाले मजदूरों में कटर मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है. कच्चे पत्थर को काटते समय उससे उठने वाली सिलिकोन धूल इन मजदूरों के फेफड़ों में घुस जाती है तथा वायु को शुद्ध करने की प्रक्रिया को रोक देती है. डाक्टरों के अनुसार इस बीमारी को रोकने का कोई इलाज नहीं है तथा रोगी मरेगा ही. सिलिकोसिस तथा इससे संबंधित अन्य बीमारियों से मरने वालों की संख्या अब तक अधिकृत रूप से किसी ने नहीं बताई है. कुछ व्यक्तियों के अनुसार अब तक लगभग 2 हजार मजदूर इससे जान गवा चुके हैं. सिलिकोसिस रोग का आरंभ खांसी से होता है और ऐसा होते ही मजदूरों को बेरहमी से नौकरी से निकाल दिया जाता है. रोजी कमाने के लिए ऐसे व्यक्तियों के बच्चों को यहीं काम करने पर मजबूर होना पड़ता है. इस उद्योग के मुंशी सदा ऐसे लड़कों व लड़कियों की तलाश में रहते हैं जो यह काम कर सकें. इस प्रकार यह काम वंश परंपरा के रूप में चलता रहता है.

इस उद्योग में प्रायः बूढ़े मजदूर नहीं देखे जाते. 50 वर्ष की आयु का कोई मजदूर शायद ही कहीं दिखाई दे. कम उम्र के मजदूर भी गरीबी व चिंताओं के कारण अपनी वास्तविक उम्र से अधिक उम्र के दिखाई देते हैं. प्रायः हर तीसरी औरत विधवा है. सारा इलाका धूल से भरा होता है. पूरे क्षेत्र में शोषण, अपमान, गुलामी, बीमारी, कंगाली व मौत के सैंकड़ों उदाहरण मिलते हैं.

कच्चे स्लेट पेंसिल की खान करीब 20 फुट गहरी होती है और प्रायः दो या तीन महीने में यह समाप्त हो जाती है. खानों में काम के हालात अमानवीय हैं. यहां तक कि गर्भवती महिलाओं को भी बच्चा होने के समय तक काम करना पड़ता है जबकि उनके बच्चे खान के बाहर धूल में नंगे पड़े रहते हैं व सांस लेने की प्रक्रिया के साथ इस खतरनाक बीमारी के कीटाणु शरीर के भीतर पहुंचते रहते हैं. यही कारण है कि इस क्षेत्र में बाल-मृत्यु की दर बहुत अधिक है. जो बच्चे जिंदा रह पाते है वे भी कभी स्कूल जाने का अवसर नहीं जुटा पाते. यदि स्लेट पेंसिल उद्योग में काम करने के बजाय बच्चे स्कूल जाने लगे तो रोजी कौन कमाएगा ?

एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि इस उद्योग में काम करने वाले अधिकतर मजदूर 12 से 14 वर्ष की उम्र से ही यहां काम करने लगे थे. इस उद्योग में मजदूरों को विभिन्न प्रकार के कामों के लिए रखा जाता है. कुछ लोग कच्चे पत्थर को पेंसिल का आकार देते हैं तथा कुछ अन्य इसकी नोक को नुकीला बनाते हैं. कुछ लोग इन्हें काटते हैं तथा कुछ और लोग इन्हें पैकिट में बंद करते हैं. काम करने के घंटे नियत नहीं हैं. कई मजदूरों को शाम को देर तक काम करना पड़ता है. कुछेक को छोड़कर अक्सर हफ्ते की एक छुट्टी भी नहीं दी जाती. मजदूरों को खुदाई व भराई के लिए 3 या 4 रुपये दैनिक मजदूरी दी जाती है. इसी प्रकार स्लेट पेंसिल की एक पेटी के लिए कटर को 1.10 रु० दिये जाते हैं. याद रहे कि एक पेटी में 20 डिब्बे होते है व हर डिब्बे में 50 पेंसिल होती हैं. एक हजार पेंसिलों के किनारे तराशने की मजदूरी केवल एक रुपया है.

जबकि मजदूरों की मजदूरी इतनी कम है मालिकों के मुनाफे आसमान को छूते हैं. पेंसिलों की एक पेटी के लिए मजदूरों को 3 रुपये 10 पैसे दिये जाते हैं. मामूली से कुछ और खर्च करने के बाद इस पेटी को 22 रुपये 50 पैसे में बाजार में बेचा जाता है. मालिक लोग मजदूरों की चिकित्सा इत्यादि के लिए कोई पैसा नहीं खर्चते. बोनस या महगाई भत्ता उनके लिए अजनबी चीजें हैं. मजदूरों के लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है. कोई मजदूर इस अमानवीय शोषण के चंगुल से अपने आपको नहीं छुड़ा सकता.

यदि कोई सचेत मजदूर अन्य मजदूर साथियों को किसी मुद्दे पर संगठित करने की कोशिश करता है तो उसे तत्काल नौकरी से निकाल दिया जाता है व बेरहमी से पीटा जाता है. मजदूरों की हालत सुधारने के सभी प्रयत्न विफल हो गए हैं. मजदूर भी अपनी हालत के प्रति अब उदासीन हो गए हैं. वे जानते हैं कि चंद बरसों में वे मौत के शिकार

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

इस वर्ष का रेलवे बजट न केवल हमारे देश की योजना प्रणाली में व्याप्त अव्यवस्था को दर्शाता है बल्कि यह रेलवे कर्मचारियों व आम जनता पर निश्चय ही भारी बोझ डालने वाला है. बजट को प्रस्तुत करते समय भी सरकार के विभिन्न विभाग अलग-अलग स्वर अलाप रहे थे. अपने रेलवे बजट भाषण में रेलवे मंत्री जो कुछ कर रहे थे वित्त मंत्रालय अपने आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा उसे नकार रहा था. इस वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय जो कठोरता व अदूरदर्शिता दर्शाई गई वह पहले कभी न हुई थी.

जबकि एक ओर रेलवे दुर्घटनाएं प्रायः प्रतिदिन हो रहीं थीं जिनके फलस्वरूप कितने ही व्यक्तियों की जान जा रही थीं वहां दूसरी ओर रेलमंत्री अपने भाषण में इनका कोई हवाला नहीं दे रहे थे. यहां तक कि आम शिष्टाचार के नाते भी उन्होंने उन सैंकड़ों व्यक्तियों का जिक्र तक न किया जिनकी जानें विभिन्न रेलवे दुर्घटनाओं में गईं थीं. इसी प्रकार जब लोको कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे व सैंकड़ों स्टेशनमास्टर अपनी वर्दियों को जला रहे थे, रेल मंत्री भाषण में कह रहे थे कि रेलवे में मालिक-मजदूर संबंधी पूरी तौर से सामान्य हैं. जबकि रेलवे में दुर्घटनाओं, देरी आदि की संख्या बढ़ रही थी, रेल मंत्री फरमा रहे थे कि रेलवे में स्थिति तेजी से बेहतर होती जा रही है. उपलब्धियों के ऐसे दावे प्रस्तुत किए जा रहे थे जो न तो वर्तमान में सही थे और न ही भविष्य में उन्हें पाने की आशा की जा सकती थी. एक ओर तो ये झूठे दावे और दूसरी ओर लगातार तीसरी बार रेल भाड़ों में वृद्धि की गई जिसका असर आम आदमी पर विकट रूप से पड़ा है. कोई समझदार व्यक्ति इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि यात्री व सामान भाड़े के बढ़ने से आम जरूरयात की वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी व इस प्रकार मजदूरों की वास्तविक मजदूरी कम हो जाएगी. इसी प्रकार हाल ही में संघर्षों के बाद किसानों द्वारा फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त किए जाने की सफलता पर भी पानी फिर जाएगा क्योंकि इस बजट के प्रभाव के कारण खेती के लिए आवश्यक सभी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे. इस बार मंत्री महोदय के रोज-की मर्रा के जीवन आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, गेंहू, दालें, मिट्टी का तेल, रसायन, खादें आदि को भी नहीं छोड़ा व इनके यातायात भाड़ें में भी वृद्धि कर दी. रेलवे भाड़े में हो रही वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था के गहराते संकट का परिणाम है. शासक वर्ग चाहता है कि इस संकट का भार आम आदमी के कंधों पर डाला जाय और यदि व विरोध करने का प्रयत्न करे तो उसे दबाने के लिए दमन व आतंक का सहारा भी लिया जाए,

योजना में अव्यवस्था

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमार—

"ऐसे समय में जबकि रेल यातायात दिनोदिन बढ़ रहा है, रेलवे विभाग ने पिछले दशक में इस उद्योग में पर्याप्त पूंजी निवेश नहीं किया है जिसका नुकसान उसे अब उठाना पड़ रहा है." (पैरा 3.41, पृष्ठ 16)

यह सर्वेक्षण इसके लिए अब जनता सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा है. इसमें जिन नीतियों की आलोचना की गई है वे कांग्रेस सरकार की नीतियां ही हैं. बजट के साथ 1979-80 वर्ष के जो संक्षिप्त आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वे बताते हैं कि 1950-51 से 1965-66 वर्षों में प्रति वर्ष 10 हजार की दर से वैगन रेलवे में लिए गए थे जबकि 1966-67 के बाद के वर्षों में प्रति वर्ष केवल 2,500 वैगन ही लिए गए. इसका असर यह हुआ कि सारा इंजीनियरिंग व वैगन निर्माण उद्योग भारी संकट में फंस गया. पिछले 15 वर्षों में इस उद्योग में तालाबंदी व कारखाने बंद होने के कितने ही मामले हुए. अब छठी योजना में 50 हजार वैगनों को खरीदे जाने का प्रस्ताव है जबकि वास्तव में आवश्यकता 1 लाख वैगनों की है. यही वह मुख्य दोष है जिसके कारण रेलवे पूरा माल उठा पाने में असमर्थ है.

केवल एक पखवाड़ा पहले ही रेलवे मंत्री के स्वीकार किया है कि वर्किंग ग्रुप के अनुसार छटी पंच वर्षीय योजना में रेलवे का न्यूनतम जरूरत पर आधारित खर्चा 11,817 करोड़ रुपये है. (इस खर्चे में रेलवे मजदूरों, जो कि व्यवस्थित क्षेत्र के मजदूरों में न्यूनतम मजदूरी पाते हैं, के लिए न्यूनतम जरूरत पर आधारित मजदूरी शामिल नहीं है) किंतु योजना आयोग ने इस प्रयोजन के लिए केवल 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है. इसका अर्थ हुआ योजना के लक्ष्यों को कम करना होगा. बजट प्रस्तुत करते समय रेलवे मंत्री ने कहा कि इस वर्ष रेलवे पर पिछले वर्ष 762 करोड़ रुपये की जगह 980 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे. यह वृद्धि 29 प्रतिशत है. किंतु मंत्री महोदय यह बिल्कुल भूल गए कि तेल का मूल्य बढ़ गया है, कोयले की कीमतें बढ़ गई हैं तथा सरकार ने स्वयं ही वैगनों के मूल्यों में 46 प्रति शत वृद्धि करने की अनुमति दी है. ये वृद्धियां हाल में ही हुई हैं तथा ये थोक मूल्यों में शामिल नहीं की गई हैं जो अप्रैल 1980 से जनवरी 1981 के बीच 14 प्रति शत बढ़ी हैं. इन सब का परिणाम यह होगा कि बढ़ती हुई कीमतों के कारण दिए गए खर्चे योजना के लक्ष्य पूरे नहीं होंगे व इन्हें कम करना होगा. इस आधार पर रेल मंत्री के दावे कि प्रति वर्ष रेलवे पर अधिक बजट लगाया जा रहा है निराधार हैं.

तथाकथित नए कदम

मंत्री महोदय ने पिछले तीन महीनों में रेलवे द्वारा पहले से अधिक माल ढाए जाने के आंकड़े प्रस्तुत किए. इन्हें उन्होंने रेलवे की उपलब्धियां बताया है.

मंत्री द्वारा अधिक माल ढोए जाने के आंकड़े देने का क्या औचित्य है जबकि आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार इस्पात व सीमेंट के प्लांटों के

लिए औसत माल ढुलाई क्रमशः 4 व 7.6 प्रतिशत घट गई है. (पैरा 3.18, पृष्ठ 13) यदि यह दावा मान भी लिया जाए कि इस दौरान विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की ढुलाई बढ़ी है, तब भी वास्तविकता यह है कि हरियाणा में कोयले की कमी के कारण तीन थर्मल विद्युत संयंत्र बंद पड़े हैं. 19 फरवरी 1981 को संसद में यह स्वीकार किया गया कि 16 फरवरी तक 240 यात्री गाड़ियां कोयले की कमी के कारण रद्द कर देनी पड़ी हैं.

'बिजनैस स्टैंडर्ड' समाचारपत्र ने कहा है कि क्लोज सर्किट प्रणाली के कारण जहां एक ओर कुछ उद्योगों में उनकी जरूरत के अनुपात में बहुत अधिक कोयला है वहां दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों को कोयले की कमी के कारण नुक्सान उठाना पड़ रहा है. समाचारपत्रों प्रकार मंत्री महोदय द्वारा सुझाया गया नया तरीका सभी प्रकार की कमियों को दूर करने का दावा करता है. उनके विचार में पुराना स्टाक व टूटी फूटी रेलवे लाइनें रेलवे के विकास में कोई बाधा प्रस्तुत नहीं करते. इन्हें बदलना या नवीनीकरण करना तो दूर उन्होंने रेलवे सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले बहुत से आम तरीकों जैसे अंतरिम रेल निरीक्षण स्थानों, ब्रेक निरीक्षण, वैक्यूम प्रमाणपत्र आदि को समाप्त कर दिया है. इन सुरक्षा उपायों के समाप्त किए जाने में दुर्घटनाओं का खतरा बहुत बढ़ गया है और विनयमबाड़ी दुर्घटना इसका एक उदाहरण है. लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन व स्टेशन मास्टर्ज एसोसियेशन दोनों ने ही अधिकारियों को इन तथाकथित नये तरीके अपनाए जाने में आने वाले खतरों के बारे में आगाह किया था नवीनीकरण तभी होगा जब कई और दुर्घटनाएं हो जाएं व अधिक जानें जाएं. बुजुर्ग अर्थशास्त्री माल्थस ने भी तो यही सुझाया था. मंत्री महोदय के रूप में माल्थस के एक होनहार छात्र अवतरित हुए है.

दुर्घटनाओं में वृद्धि

पिछले तीन महीनों में शायद कोई ऐसा दिन न था जब समाचारपत्रों ने किसी न किसी रेलवे दुर्घटना का समाचार न दिया हो. 1970-71 में दुर्घटनाओं की संख्या 4,918 से बढ़कर 1979-80 में 12,189 हो गई. प्रति दस लाख ट्रेन किलोमीटरों में दुर्घटनाएं 10.5 से बढ़कर 24.27 हो गई. 1980-81 के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या और अधिक रही होगी. संभवत: इसी कारण रेलवे मंत्री ने अपने भाषण में इस पहलू का कोई जिक्र ही न किया.

भ्रष्ट व मजदूर-विरोधी अफसरशाही को सहायता

में इस प्रकार की काफी शिकायतें आई हैं कि छोटे स्तर के उद्योगों को माल की ढुलाई के लिए वैगन उपलब्ध नहीं कराए जाते.

यह हमारी योजना प्रक्रिया कि कमियों का एक पहलू है जिसने भारतीय रेलवे के विकास को रोक सा दिया है. कमियों के कई और पहलू भी हैं. आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार : "रेलवे का वर्तमान स्टाक जरूरत से काफी कम है और इसमें से भी अधिक माल टूटा-फूटा है व इसे बदले जाने की बहुत आवश्यकता है. पटरियों को जरूरत के मुताबिक बदला नहीं गया है और कई क्षेत्रों में इतनी पटरियां बिछाई ही नहीं गई हैं कि रेलें सुचारु रूप से चलें." (पैरा 3.41, पृष्ठ 16)

रेलवे मंत्री ने इन कमियों को दूर करने का एक उपाय खोजा है. यह उपाय है 'जम्बो स्पैशल'. जिस प्रकार पाखंडी वैद्य या हकीम सभी बीमारियों को दूर कर सकने वाली किसी चमत्कार औषधि को ढूंढ निकालने का दावा करते हैं, उसी किंतु उनकी बातों पर कोई ध्यान न दिया गया. अपने भाषण में मंत्री महोदय ने दुर्घटनाओं के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा. वे केवल यही दावे करते रहे कि रेलवे विभाग 4,500 व 7,500 टन भार ले जाने की क्षमता वाली मालगाड़ियां चलाए जाने के लिए आधार तैयार कर रहा है जिन्हें एक साथ कई इंजन घसीटेंगे. याद रहे कि इंग्लैंड में भी सबसे अधिक भार ढोने वाली मालगाड़ियां कई इंजनों से चलने के बावजूद 3304 टन भार ही खींचती हैं.

हैरानी है कि ऐसे दावे उस समय किए जा रहे हैं जबकि इंग्लैंड में माल गाड़ियों में उठाया जा रहा वजन 1950-51 के 1,068 टनों से बढ़कर 1979-80 में 1,694 हो गया है. दूसरे शब्दों में 30 वर्ष में 60 प्रति शत वृद्धि हुई है इस पृष्ठभूमि में 301 या 700 प्रतिशत वृद्धि की बात कोई सिरफिरा व्यक्ति ही कर सकता है. हो सकता है कि मंत्री महोदय सोच रहे हों कि पुराने स्टाक को तभी बदला जाएगा व पुरानी पटड़ियों का

रोजगार संभावनाओं में कमी

तथाकथित नई प्रणालियों, तीसरे या चौथे जेनरेशन कम्प्यूटरों तथा मशीनीकरण के अन्य उपायों के फलस्वरूप रेलवे में रोजगार की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ेगा. यह तो सर्वविदित है कि 1966-67 में रेलवे में आई. बी. एम. 1401 कम्प्यूटर लगाए जाने से अगले तीन वर्षों में 11 हजार नौकरियां कम हो गई जबकि इस दौरान यात्री व माल यातायात व रालिंग स्टाक होल्डिंग में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई. नई सूक्ष्म मशीनों को लगाने से तथा कम्प्यूटरों के स्थान पर तीसरे व चौथे जेनरेशन के कम्प्यूटर लगाए जाने से जो कि पुराने कम्प्यूटरों से 1600 गुना अधिक शक्तिशाली हैं, विकट भविष्य में रेलवे में नौकरियों की तमाम संभावनाएं ही समाप्त हो जायेंगी. अगस्त 1980 के अंत तक रोजगार विभाग के कार्यालय में रोजगार पाने वालों की संख्या एक करोड़ ५६ लाख ४० हजार थी जिसमें से 10 लाख एकमैट्रिक

[शेष पृष्ठ तेरह पर]

जीवन बीमा अध्यादेश के खिलाफ सफल हड़ताल

केंद्रीय सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम कर्मचारियों पर थोपे गए गैरजनतान्त्रिक व अधिनायकवादी काले अध्यादेश का देश भर के निगम के कर्मचारी, ट्रेड यूनियनें व जनवादी लोग विरोध कर रहे हैं. देश के अन्य भागों की तरह पश्चिम बंगाल के जीवन बीमा निगम कर्मचारियों ने 2 व 3 फरवरी को विरोध हड़ताल की तथा इस कर्मचारी विरोध कदम की तीखी आलोचना की. 5 फरवरी को आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसियेशन के आह्वान पर देश भर के बीमा कर्मचारियों ने एक बार फिर विरोध हड़ताल की क्योंकि इसी दिन सरकार ने इस काले अध्यादेश धाराओं को कानूनी रूप देने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया.

पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध हड़तालें सफल रहीं. 5 फरवरी को कलकत्ता में हड़ताली बीमा कर्मचारियों ने सभी बीमा कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किए. शाम के समय जीवन प्रकाश भवन के सामने एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें हजारों बीमा कर्मचारी शामिल हुए. सभा में अन्य वक्ताओं के अलावा आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसियेशन के महासचिव संसद सदस्य सुनील मोइत्रा व बी. एम. एस. के अध्यक्ष ने भी भाषण दिए. रैली में मांग की गई कि इस काले अध्यादेश को वापिस ले लिया जाए व बीमा कर्मचारियों के इस निश्चय को दोहराया गया कि कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा शुरू की गई इस मुहिम का जवाब देने के लिए वे तैयार हैं.

केंद्रीय सरकार द्वारा बीमा कर्मचारियों पर वेतनजाम थोपने के इरादों की विभिन्न वामपंथी पार्टियों व ट्रेड यूनियनों ने निंदा की है. सीटू उपाध्यक्ष व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने इस अध्यादेश का विरोध करते हुए कहा है कि यह कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से सलाह मशवरा किए बगैर लिया गया एकतरफा कदम है. सीटू की पश्चिम बंगाल शाखा के महासचिव मनोरंजन राय ने एक बयान जारी करके इस अध्यादेश की निंदा की है व देश भर के मजदूरों व कर्मचारियों से अपील की है कि वे बीमा कर्मचारियों के संघर्ष में उनका साथ दें. पश्चिम बंगाल की बैंक एम्पलाईज फेडरेशन के महासचिव नरेश दास ने इसे केंद्र द्वारा कर्मचारियों पर वेतन जाम थोपने की दिशा में एक कदम बताया है व अपनी फेडरेशन की ओर से वादा किया है कि वे इस हमले का जवाब देने के संघर्ष में बीमा कर्मचारियों का पूरा साथ देंगे. इससे पहले इस फेडरेशन के आह्वान पर 500 बैंक कर्मचारियों की एक विरोध रैली कलकत्ता में हुई जिसमें इस अध्यादेश का विरोध किया गया. इस जन सभा में अन्य वक्ताओं के अलावा एल. आई. सी. एम्पलाईज एसोसिएशन के शांति भट्टाचार्य तथा बैंक एम्पलाईज फेडरेशन के अध्यक्ष नरेश पाल व महासचिव नरेश दास ने भाषण दिए व मांग की कि इस अध्यादेश को वापिस ले लिया जाए.

आई. टी. सी. मजदूरों की सफल हड़ताल

आल इंडिया आई. टी. सी. वर्कर्ज फेडरेशन के आह्वान पर टोबैक्को कंपनी के मजदूरों व कर्मचारियों ने 5 फरवरी को देशव्यापी सफल हड़ताल की. उनकी मुख्य मांगें हैं—बंगलौर शाखा के 58 छंटनी किए मजदूरों को बहाल किया जाए, फेडरेशन को मान्यता दी जाए, रैशनलाइजेशन व आटोमेशन के कदमों को वापिस ले लिया जाए तथा विभिन्न इकाइयों में काम कर रहे मजदूरों के मांगपत्रों पर जायज फैसला किया जाए. आई. टी. सी. की किद्दरपुर इकाई के सभी मजदूरों ने हड़ताल में भाग लेकर इसे सफल बनाया.

लोको व बीमा कर्मचारियों को ट्रेड यूनियनों का समर्थन

कलकत्ता में 6 फरवरी को 20 ट्रेड यूनियनों व जनसंगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई जिसमें केंद्र सरकार की मजदूर-कर्मचारी विरोधी नीतियों तथा लोको कर्मचारियों पर किए जा रहे वहशियाना दमन की निंदा की गई. बैठक में लोकोकर्मचारियों द्वारा अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए मास केज्वल लीव आंदोलन छेड़े जाने को पूरा समर्थन दिया गया है. इन प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार व रेलवे अधिकारियों द्वारा लोको कर्मचारियों को दबाने के उद्देश्य से किए जा रहे दमन की कड़ी निंदा की है और मांग की है कि इस प्रकार के सारे दमनकारी कदमों को वापिस ले लिया जाए. उन्होंने कहा है कि सरकार को लोको कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके उनकी मांगों व समस्याओं को सुलझाना चाहिए. बैठक में बीमा कर्मचारियों के खिलाफ हाल ही में जारी किए गए काले अध्यादेश व बंगलौर स्थित सार्वजनिक संस्थानों के कर्मचारियों पर किए जा रहे हमलों की भी निंदा की गई. बैठक में मजदूर वर्ग को आह्वान किया गया कि वे केंद्रीय सरकार के अधिनायकवादी रुझानों का मुकाबला करने के लिए मजबूत व एकजुट आंदोलन तैयार करें.

बैठक में भाग लेने वाले नेताओं में प्रमुख थे—नीरेन घोष (सीटू), भवानी राय चौधरी (एटक), पी. मोइत्रा (बी. एम. एस.), प्रशांत दासगुप्त (टी. यू. सी. सी.) अरबिंद घोष (12 जुलाई कमेटी), दीपेन घोष (केंद्रीय सरकार कर्मचारी समन्वय समिति), सुकोमल सेन (राज्य सरकार कर्मचारी समन्वय समिति) नरेश दास (बैंक एम्पलाईज फैडरेशन), अमिय चटर्जी (मर्कैंटाइल फैडरेशन) तथा बी. पी. बी. ई. ए., ए. आई. आई. ई. ए., सैंट्रल फिशरीज कारपोरेशन एम्पलाईज, एल. आई. सी. वर्कर्ज यूनियन, ईस्टर्न रेलवे वर्कर्ज

यूनियन, ए. आई. रेलवे एंप्लाईज कनफेडरेशन तथा अन्य संगठनों के नेता.

इंजीनियरिंग मजदूरों द्वारा मिलें खोलने की मांग

फेडरेशन ग्राफ मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्ज यूनियन (सीटू) के आह्वान पर हजारों इंजीनियरिंग मजदूर 11 फरवरी को कलकत्ता में बंगाल चेम्बर ग्राफ कामर्स में एकत्र हुए व मांग की कि बंद व बीमार मिलों को खोला जाए. सभा में भाषण देते हुए फेडरेशन के महासचिव शांति घटक व विधान सभा सदस्य रौबिन मुखर्जी ने बताया कि इंजीनियरिंग फैक्ट्रियों के मालिक मामूली व बेतुके कारणों का बहाना बनाकर फैक्ट्रियों को बंद कर देते हैं व इस प्रकार मजदूरों को अपने जायज अधिकारों से वंचित करते हैं. दरअसल फैक्ट्रियां बंद करने में मालिकों का उद्देश्य छंटनी करना व मजदूरों पर काम का बोझ बढ़ाना होता है. मालिको के इन हथकंडों के परिणामस्वरूप राज्य में 30 से 40 तक इंजीनियरिंग फैक्ट्रियां बंद हैं जिससे 30 हजार मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. इसके अतिरिक्त हावड़ा में कई छोटी फैक्ट्रियों के बंद होने से 1 हजार से ज्यादा मजदूर पहले से ही बेरोजगार हैं. फेडरेशन के नेताओं ने आरोप लगाया कि इनमें से अधिकतर फैक्ट्रियों ने बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में बड़ी रकमें ली हैं जिन्हें गैर-उत्पादक कामों में खर्च कर दिया गया है. दूसरी ओर ये फैक्ट्रियां मजदूरों की ई. एस. आई. तथा पी. एफ. योजनाओं में अपना भाग जमा नहीं करतीं तथा कई बार तो मजदूरों द्वारा दिए गए भाग को भी हड़प जाती हैं.

जनसभा के बाद एक प्रतिनिधिमंडल एसोसियेशन ग्राफ इंडियन इंजीनियरिंग इंस्ट्री के प्रतिनिधियों से मिला व उन्हें अपना मांगपत्र दिया. इसमें मांग की गई थी कि इन फैक्ट्रियों से तालाबंदी व ले ग्राफ तत्काल हटा दिया जाए तथा इन्हें खोल दिया जाए.

पहली बार चटकल मजदूरों के लिए वेतनमान की सिफारिश

22 फरवरी 1979 को हुए त्रिपक्षीय समझौते के प्रावधानों के तहत पश्चिम बंगाल की सरकार ने जूट उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के वेतनमानों तथा पीसरेट पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया. समिति की सिफारिशों को हाल में ही सभी संबंधित पक्षों को भेज दिया गया है. इस समिति ने जूट उद्योग के इतिहास में पहली बार मजदूरों के लिए बिना उच्चतम सीमा के वेतनमानों की सिफारिश की है.

इससे पहले जूट उद्योग में काम कर रही यूनियनों ने जूट मजदूरों के लिए वेतनमान निर्धारण करवाने की कई बार कोशिश की थी किंतु असफल रहे थे. हालांकि समय-समय पर जूट मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी जाती थी किंतु उनके लिए किसी निश्चित व मियादी वेतनमानों का निर्धारण नहीं किया जाता था. केवल क्लर्कों तथा दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ही वेतनमान उपलब्ध थे.

पीस रेट पर काम करने वाले मजदूरों के लिए समिति ने सुझाव दिया है कि समय-समय पर हुई मजदूरी में वृद्धि को मजदूरों के वर्तमान मूल वेतन में मिला दिया जाए जिसके आधार पर ही नए मूल वेतन का निर्धारण किया जाए. समय-समय पर बढ़ने वाली मजदूरी में महंगाई भत्ते के एक भाग को मूल वेतन में मिलाना भी शामिल है जिसका सुझाव वेतन आयोग तथा 1969, 1972, 1974, तथा 1979 में हुए त्रिपक्षीय समझौतों में दिया गया था. नए मूल वेतन का निर्धारण एक महीने में 208 घंटे काम पर आधारित होगा और इस मूल वेतन के आधार पर ही समिति वेतनमानों का निर्धारण करेगी. महीने के आधार पर काम करने वाले मजदूरों के लिए भी समय-समय पर हुई मजदूरी वृद्धि को पुराने मूल वेतन में मिला दिया जाएगा.

समिति ने सुझाव दिया है कि 37 प्रकार की मजदूरी-दरों को कम करके केवल 7 मजदूरी-स्तर बनाए जाएं तथा इनके आधार पर मजदूरों को उपयुक्त वेतनमानों में रखा जाए. समिति ने आगे सुझाव दिया है कि सभी वेतनमान 'खुले' रखे जाएं जिससे कि हर मजदूर को योग्यता व समय के आधार पर प्रगति करके अगले वेतनमान में जाने का मौका मिलता रहे तथा वह अपने वेतनमान की सीमा पर पहुंच अपने वेतन को घटा हुआ महसूस न करें. पीस रेट मजदूरों के लिए समिति ने सुझाव दिया है कि जिन दिनों काम न होने के कारण उन्हें बेकार बैठना पड़े उन दिनों की कुछ मजदूरी निर्धारित होनी चाहिए जो कि उन मजदूरों को मिले.

आवश्यक योग्यता रखने वाले प्राथमिक अध्यापकों को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान मिलने चाहिएं.

समिति ने सुझाव दिया है कि उसकी सिफारिशें 1 मार्च 1980 से लागू मानी जानी चाहिएं. आजादी के बाद यह पहला मौका है कि इस प्रकार की सिफारिशें सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजी गई हैं. बंगाल चटकल मजदूर यूनियन इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है. □

दवाकंपनी में 5 महीने लंबी हड़ताल

लाइफ फार्मास्युटिकल के प्रबंधकों ने पश्चिम बंगाल में अपनी तीन फैक्ट्रियां, मुख्य कार्यालय व सेल्ज कार्यालय को पिछले 5 महीनों से बंद कर रखा है. जाहिर है कि इससे मजदूरों व कर्मचारियों पर असहनीय बोझ व मुसीबतें पड़ रही हैं. पिछले वर्ष इस कंपनी ने 16.5 प्रतिशत बोनस दिया था. किंतु इस वर्ष अधिक उत्पादन व अधिक सेल्ज के बावजूद इस कंपनी ने 10.1 प्रतिशत से अधिक बोनस देना स्वीकार नहीं किया. सीटू यूनियन के नेतृत्व में मजदूरों ने कम बोनस लेने से इंकार कर दिया व मांग की कि बातचीत द्वारा इस पर कोई फैसला लिया जाय. किंतु प्रबंधकों ने किसी प्रकार की बातचीत किए बिना ही फैक्ट्री में गैर-कानूनी तालाबंदी की घोषणा कर दी. □

भारतीय नाविकों की जायज मांगें स्वीकार

कलकत्ता बंदरगाह में, ग्रीक फ्लेग वैसेल एम. वी. "अधीप्रोस गोरास्सीमोस" के मालिकान और अधिकारियों द्वारा बर्बर हमलों के बावजूद इसके 10 भारतीय नाविक, फारवर्ड सीमेंस यूनियन आफ इंडिया (सीटू) के नेतृत्व में एकबद्ध होकर लड़े, जहाज पर हड़ताली संघर्ष किए, और 10 दिन तक जहाज रोके रखा और अपने बकाया वेतन और सुविधाएं, जो रेल भाड़ा और खाने के भत्ते को मिलाकर डेढ़ लाख रुपये के करीब है, को हासिल करने में कामयाब रहे.

इन सालों के दौरान, भारत सरकार के लगातार प्रतिशोधपूर्ण रवैये, एन यू एस आइ के गुंडों के हमले, दमन और विक्टिमाइजेशन के बावजूद, भारतीय नाविकों ने निम्न-स्तरीय वेतन, जहाज और बंदरगाह पर रहन-सहन की निम्न दशा, अंडर-मैनिंग और अत्यधिक कार्य-भार, बुरा बर्ताव और जहाज में जीवन की असुरक्षा, नौकरी और समाज सुरक्षा का अभाव, पेंशन और बेरोजगार सुविधाओं का अभाव, चिकित्सीय और पारिवारिक सुविधाएं न मिलना, जहाज, और बंदरगाह में स्वास्थ्यप्रद भोजन और पानी की अपर्याप्त पूर्ति, आदि के खिलाफ कई शानदार संघर्ष किए और विदेशी और भारतीय बंदरगाहों पर जहाजों को रोका.

हाल ही में 30 दिसंबर को, बंबई की एन यू एस आई के नेताओं ने आई एल ओ द्वारा निर्धारित 115 पाउंड (2 हजार से अधिक रुपये) न्यूनतम वेतन भारतीय नाविकों को देने के लिए घड़ियाली आंसू बहाये और जहाजरानी और परिवहन मंत्री के नाविक विरोधी बयान की आलोचना की.

लेकिन दुर्भाग्यवश बंबई की एन यू एस आई के इन नेताओं ने सभी हड़ताली भारतीय नाविकों को विक्टिमाइज होने दिया क्योंकि उन्हें विदेशी बंदरगाहों में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन से संबंधित विदेशी नाविक यूनियनों की सहायता से "वेतन और सुविधाओं की अंतर्राष्ट्रीय दर" के अनुसार वेतन प्राप्त होना था. 4 फरवरी को जारी एक बयान में, एफ एस यू आई के महासचिव आशुतोष बनर्जी ने कहा कि यदि एन यू एस आई का रवैया भारतीय नाविकों के समर्थन में था तो इसने विश्व व्यापी एकजुट संघर्षों का आह्वान क्यों नहीं किया. उन्होंने कहा कि इसका कारण था कि उनका रवैया बुनियादी तौर से जहाज मालिकान के समर्थन में था न की वेतन में भेदभावों को दूर करने के लिए नाविकों द्वारा किए गए एकजुट संघर्ष के समर्थन में. □

'सीटू मजदूर' का मई दिवस विशेषांक

विशेष आकर्षण :

1. मई दिवस का इतिहास.
2. सीटू का मई दिवस घोषणापत्र.
3. पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की वाम-मोर्चा सरकारों की उपलब्धियां.
4. केरल की वामपंथी और जनवादी सरकार की उपलब्धियां.
5. इन सरकारों की मजदूर-किसान समर्थक नीतियों को लोकप्रिय करने में मजदूर वर्ग की भूमिका.
6. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल के मुख्यमंत्रियों के लेख
7. सीटू के प्रख्यात नेताओं द्वारा अन्य विशेष लेख.
8. वर्तमान हालात पर लेख.
9. कानूनी लेख.
10. आम समाचार.

मूल्य : एक रुपया

पृष्ठ : 68 (सामान्य पत्रिका से 4 गुना ज्यादा)

पत्रिका के लिए अपने आर्डर तुरंत भेजे.

वार्षिक ग्राहकों से अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी.

पता : मैनेजर,

सीटू मजदूर, 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1980		
	अक्टू.	नवंबर	दिसं.
बिहार			
जमशेदपुर	397	389	379
झारिया	386	392	382
कोडर्मा	427	430	426
मोंघाइर	448	444	426
नोआमुंडी	389	391	377
गुजरात			
अहमदाबाद	379	381	377
भाव नगर	410	418	408
हरियाणा			
यमुना नगर	436	445	432
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	418	408	421
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	414	419	424
भोपाल	410	410	413
ग्वालियर	432	430	423
इंदौर	422	428	428
महाराष्ट्र			
बंबई	400	402	408
नागपुर	401	405	404
शोलापुर	408	419	422
पंजाब			
अमृतसर	437	442	425
राजस्थान			
अजमेर	423	432	433
जयपुर	445	448	443
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	405	402	405
सहारनपुर	419	419	414
वाराणसी	467	470	475
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	421	428	423
कलकत्ता	393	397	379
दार्जीलिंग	350	352	343
हावड़ा	385	383	375
जलपाइगुरी	353	349	332
रानीगंज	408	414	410
दिल्ली	438	436	430
भारत	406	411	408

रेलवे बजट

[मध्य पृष्ठों से आगे]

या उससे अधिक योग्यता रखते थे. लगता है रेलवे मंत्री को बेरोजगारों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है.

विदेशों पर निर्भरता

आर. आई. टी. ई. एस. व आई. आर. सी. ओ. एन. नामक दो सहायकों (सबसिडरियों) तथा आर. डी. एस. ओ. द्वारा तकनीकी क्षेत्रों में की गई प्रगति का हवाला देते हुए मंत्री महोदय आत्म-निर्भरता के बारे में कुछ भी कहना भूल गए. इसके विपरीत उन्होंने स्वीकार किया कि विश्व बैंक द्वारा रेलवे वर्कशापों के आधुनिकीकरण के लिए दिया गया 190 मिलियन डालर का ऋण स्वीकार किया जा चुका है. प्रेस रिपोर्टों के अनुसार रेल ट्रैक्शन के विद्युतीकरण के लिए 1200 करोड़ रुपये के एक अन्य ऋण के बारे में बातचीत चल रही है. इस समय भी डीजल लोको पार्ट्स व फिटिंग्स का एक तिहाई भाग व विद्युत लोको पार्ट्स का एक चौथाई भाग विदेशों से आयात होता है. यहां तक कि 1.1 करोड़ रुपये मूल्य के फार्म व लेखन सामग्री भी विदेशों से मंगवाई जाती है. विदेशों पर निर्भरता की यह हालत रेलवे मंत्रालय की दुर्दशा की द्योतक है.

रेल-भाड़े में प्रस्तावित वृद्धि

इस पृष्ठभूमि में रेलवे मंत्री ने 356.26 करोड़ रुपये के बराबर रेलवे भाड़े में वृद्धि का प्रस्ताव किया है. यह पिछले कुछ वर्षों में लगातार होने वाली वृद्धि है व तीनों बढ़ोतरियों में सबसे बड़ी है. मालभाड़े में वृद्धि करते हुए आम आदमी की जरूरत की चीजों जैसे गेहूं, दालें, चीनी, मिट्टी का तेल, खाने का तेल, रसायन, खाद, इत्यादि को भी नहीं बख्शा गया है. कोई भी व्यक्ति इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि मालभाड़े में वृद्धि का असर इन वस्तुओं के मूल्यों पर भी पड़ेगा. यदि बढ़ी हुई महंगाई की भरपाई के लिए मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि नहीं की जाती तो उनकी वास्तविक आय में कमी होगी. इस प्रकार किसानों द्वारा हाल ही के संघर्षों से प्राप्त पैदावार के बेहतर मूल्यों पर पानी फिर जाएगा क्योंकि मूल्य-वृद्धि में खेती के लिए आवश्यक खादों, रसायनों, उपकरणों, आदि के मूल्यों में भी वृद्धि होगी.

जहां तक यात्री भाड़े का सवाल है, दूसरे दर्जे से यात्रा करने वाले यात्रियों पर इस बजट का भार पड़ा है. उनकी साधारण सीटों के आरक्षण पर 300 प्रतिशत शायिका सीटों के आरक्षण पर 700 प्रतिशत व सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए 200 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि हुई है. वास्तव में यह गरीबों का नुकसान कर अमीरों को फायदा पहुंचाने की नीति है. जबकि पहले दर्जे के डब्बों पर खर्चा दूसरे दर्जे के डब्बों से 75 प्रतिशत अधिक होता है, उससे होने वाली आय दूसरे दर्जे से होने वाली आय से केवल 10 से 20 प्रतिशत ही अधिक है. इसी प्रकार जनता एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले एक यात्री को सुपरफास्ट ट्रेन में दूसरे दर्जे में यात्रा करने वाले से अधिक पैसा देना पड़ता है जबकि सरकार गरीबों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते नहीं थकती, रेलों में सफर करने वाले गरीब व्यक्तियों की यह दुर्दशा है.

श्रम-संबंध

रेलवे विभाग में मजदूर-मालिक संबंधों के बारे में मंत्री महोदय के बयान से हैरानी होना स्वाभाविक है. जिस दिन वे संसद में बजट पेश कर रहे थे उस दिन 500 से अधिक लोको मजदूरों को नौकरी से निकाला जा रहा था, 500 से अधिक मजदूरों को जबरन रिटायर किया जा रहा था तथा अन्य 500 को जेलों में ठूंसा जा रहा था. इसी प्रकार 30 हजार से अधिक लोको मजदूर सामूहिक छुट्टी पर थे. संघर्ष शुरू होने पर 50 हजार लोको मजदूरों ने इसमें भाग लिया था. इससे अगले दिन सैंकड़ों स्टेशन मास्टर छुट्टी लेने पर लगे प्रतिबंध के बावजूद अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए बोट क्लब गए व वहां सामूहिक रूप से अपनी वर्दियों को जलाया. 1980 में पूरे वर्ष भर आंदोलन होते रहे. आर्थिक सर्वेक्षण ने भी यह स्वीकार किया है कि इस वर्ष "रेलवे में लगातार हुए आंदोलनों के कारण औद्योगिक अनुशासन में भारी कमी आई है व इससे काम पर असर पड़ा है." किंतु भाषण में रेलवे मंत्री इस वास्तविकता को नकार रहे थे. रेलवे में काम करने वाले कुल 15.51 स्थायी मजदूर व 3 लाख अस्थाई मजदूर हैं. रेलवे की दोनों मान्यताप्राप्त फैडरेशनें—ए. आई. आर. एफ. व एन. एफ. आई. आर.—केवल 12.2 लाख मजदूरों का नेतृत्व करने का ही दावा करती हैं. शेष 6 लाख से अधिक मजदूर विभिन्न यूनियनों व कैटेगरी वाइज एसोसियेशनों से संबंधित हैं. इस गैर-मान्यताप्राप्त संगठनों को रेलवे मजदूरों की मांग प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया जाता. यह वह मूल कारण है जिसकी वजह से रेलवे मजदूरों में असंतोष फैल रहा है. इन रेलवे मजदूरों को यूनियन बनाने व संगठित होने के अधिकार से वंचित रखा जाता है. यदि वे कोई मांग प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें सख्ती से दबाया जाता है.

रेलवे मंत्रालय को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, कंट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन व अबालिशन) एक्ट तथा कई अन्य कानूनों की कोई परवाह नहीं है. यहां तक कि ए. आई. आर. एफ. ने भी स्थायी बातचीत मशीनरी के काम करने के ढंग पर असंतोष जाहिर किया है. संगठित क्षेत्र में रेलवे मजदूरों को सबसे कम मजदूरी मिलती है. ए. आई. आर. एफ. ने 28 नवबर 1980 को 'मांग दिवस' मनाया व 10-सूत्री मांगपत्र प्रस्तुत किया. इससे जाहिर है कि केवल गैर-मान्यताप्राप्त व कैटेगरी-वाइज यूनियनें ही रेल मंत्रालय के मजदूर-विरोधी रवैये से क्षुब्ध नहीं है बल्कि मान्यताप्राप्त यूनियनें भी संघर्ष की ओर अग्रसर हैं. लोको मजदूरों के संघर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा दर्शाये गए मजदूर विरोधी रवैये का अर्थ है कि रेलवे भाड़े में की गई वृद्धि केवल गरीबों की जेबें खाली कर अमीरों की सहायता करना ही नहीं है बल्कि इसका एक अन्य प्रयोजन रेलवे में एक भ्रष्ट, मजदूर-विरोधी अफसर-शाही को भी मजबूत बनाना है □

संक्षिप्त समाचार

फरीदाबाद में ट्रेड यूनियन कार्यवाही : सीटू और एच एल यू यूनियनों के लगभग 300 से अधिक मजदूरों ने 9-13 फरवरी को फरीदाबाद में उपायुक्त के कार्यालय के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में एक धरना आयोजित किया. उनकी मांगों में 17 अक्तूबर-गोलीकांड की न्यायिक जांच तथा मृतकों के परिवारों को पूरा मुआवजा देना, 500 रुपये न्यूनतम वेतन तथा कर्मचारियों को पुन: काम पर वापस लेना, आदि मांगे शामिल हैं. 13 फरवरी को उपायुक्त को एक मांग-पत्र पेश किया गया और एक रैली भी आयोजित की गई.

इससे पहले, 2 फरवरी को लगभग 3 हजार मजदूरों की इन मांगों के समर्थन में एक साइकिल रैली आयोजित की गई.

डी एम सी मजदूरों द्वारा प्रदर्शन : दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने, म्युनिसिपल वर्कर्स लाल झंडा यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में, निगम मुख्यालय के सामने, अधिकारियों की जन-विरोधी और मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ तथा अपने 22 सूत्री मांगपत्र जिसमें बोनस, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, आदि मांगें शामिल हैं, के समर्थन में 20 से 30 जनवरी तक प्रदर्शन व धरना आयोजित किए. लेकिन बातचीत करने की बजाए मालिकान ने दो कर्मचारियों को मुअत्तिल और एक को नौकरी से निकाल दिया. यूनियन ने उनकी मांगों पर तुरंत द्विपक्षीय बातचीत करने की और मुअत्तिली तथा बरखास्तगी के आदेशों को वापस लेने की मांग की है.

किसानों पर गोलीबारी की आलोचना : सीटू की बिहार राज्य कमेटी ने, हजारीबाग जिले में सेंट्रल कोल बलरामपुर प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर के कार्यालय के बाहर धरना दिए हुए किसानों पर 6 फरवरी को किए गए गोलीकांड की कड़ी आलोचना की. उरीमरी गांव के इन किसानों की जमीन जबरन छीन ली गई. किसान अपनी जमीन के छिन जाने के बाद रोजगार की मांग कर रहे थे. इस गोली-कांड में लगभग दस किसानों की मृत्यु हुई और अनेक घायल हुए.

बिहार सीटू ने 12 फरवरी को एक बयान में, सी सी एल के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी और प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर को तुरंत नौकरी से निकालने की तथा गोली-कांड के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों की मुअत्तिली की मांग की है. सीटू ने मृतकों तथा घायल किसानों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने तथा इस घटना की न्यायिक जांच करने की मांग की. इसने सभी ट्रेड यूनियनों से कोयला उद्योग में मशीनीकरण करने के खिलाफ, जिससे निकाले गए किसानों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके, संघर्ष करने की अपील की है.

रिक्शा चालकों द्वारा प्रदर्शन : रिक्शा चालकों ने 27 जनवरी को पुलिस दमन के खिलाफ पटना में एक प्रदर्शन आयोजित किया. पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर लाठी-चार्ज किया जिससे अनेक घायल हुए और अनेकों को गिरफ्तार किया गया. बिहार सीटू ने 28 जनवरी को लाठी-चार्ज की निंदा की और मजदूरों पर दमन को खत्म करने की मांग की है.

हार्ड कोक मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल : हजारीबाग जिले की कांटीनेंटल हार्ड कोक के मजदूर 1 जनवरी से, 107 मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं. बिहार सीटू ने सभी मजदूरों को पुन: काम पर लेने की मांग की है.

बिहार राज्य विद्युत मजदूरों का सम्मेलन : बिहार राज्य विद्युत परिषद फील्ड कामगार यूनियन ने अपनी वर्किंग कमेटी में, 8-10 मार्च तक पटना में, अपना चौथा वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है. सीटू के महासचिव सांसद पी. राममूर्ति सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. सम्मेलन के अंतिम दिन विद्युत भवन के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में एक प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा.

ठेका मजदूरों की हड़ताल : टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) के लगभग 10 हजार मजदूर, ठेका मजदूर प्रणाली का खात्मा तथा इस्पात उद्योग में हुए त्रिपक्षीय समझौते को लागू कराने की मांग के समर्थन में 12 फरवरी से हड़ताल पर हैं. सीटू और एटक के नेतृत्व में एक संयुक्त संघर्ष के जरिए सभी ठेका मजदूरों ने मालिकान को मजदूर-विरोधी रवैये का विरोध किया है.

इससे पहले, 6 फरवरी को मजदूरों ने एक मशाल जुलूस निकाला तथा कामगार महिलाओं ने एक धरना आयोजित किया. 16 फरवरी को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठी-चार्ज और अनेक को गिरफ्तार किया गया. बिहार सीटू के महासचिव चंडी प्रसाद ने 16 फरवरी को एक बयान में ठेका मजदूरों की मांगों का समर्थन किया है और लाठीचार्ज तथा श्रमायुक्त और अधिकारियों के भेदभावपूर्ण रवैये की आलोचना की है.

यू. डी. एच. मजदूरों की मांगें मंजूर : वर्कर्ज यूनियन (सीटू) यूनिवर्सल ड्रग्स हाउस के नेतृत्व में यूनिवर्सल ड्रग्स हाउस प्राइवेट लिमिटेड, पटना के मजदूरों ने लम्बे संघर्ष के बाद 24 जनवरी को हुए समझौते के रूप में जीत हासिल की. याद रहे कि ये मजदूर पिछले एक वर्ष से अपने मांगपत्र के समर्थन में संघर्ष कर रहे थे. संघर्ष के दौरान मजदूरों ने नियमानुसार काम आंदोलन तथा एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी की. मजदूरों में संघर्ष व त्याग की भावना को देखकर प्रबंधकों को समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा.

समझौते के अनुसार मजदूरों को 4 प्रकार के वेतनमानों के अतिरिक्त वेतनवृद्धि के रूप में 70 रुपये तथा टिफिन भत्ते के रूप में 1.50 रुपये मिले. इसके अतिरिक्त सभी अनियमित मजदूरों को 1 फरवरी 1981 से स्थायी बना दिया गया.

हरियाणा कनकास्ट में बदइंतिजामी: 10 फरवरी को हुई अपनी बैठक में हरियाणा पालीस्टील वर्कर्ज यूनियन ने राज्य व केंद्र सरकारों से अनुरोध किया है कि वे हिसार स्थित हरियाणा कानकास्ट लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के प्रबंध में हो रही अनियमितताओं व कुप्रबंध की जांच के लिए सी. बी. आई. जांच का आदेश दें.

यूनियन ने इस संस्थान के प्रबंधकों द्वारा अपनाई जा रही मजदूर-विरोधी नीतियों की निंदा की है जिनके परिणामस्वरूप 6 मजदूरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, 15 को निलंबित किया गया है व एक दर्जन के करीब मजदूर कार्यकर्ताओं को चार्जशीट दिया गया है. यूनियन ने मांग की है कि इस प्रकार के दमनकारी आदेश तत्काल वापिस ले लिए जाएं.

सीटू नेताओं पर घातक हमले: सीटू की उत्तर प्रदेश राज्य शाखा के महासचिव दौलत राम ने 20 जनवरी को दिये एक बयान में कानपुर की जे. के. जूट मिल में 18 जनवरी को सीटू के दो कार्यकर्त्ताओं रघुनाथ पांडे व हौसला सिंह पर कांग्रेस (आई.) व प्रबंधकों के गुंडों द्वारा किए गए कातिलाना हमले की भर्त्सना की है. इस हमले का विरोध करने के लिए जे. के. जूट मिल के मजदूर 19 जनवरी को एक दिन की हड़ताल पर गए. बयान में ट्रेड यूनियनों से अपील की गई है कि वे प्रबंधकों व कांग्रेस (आई.) की इन हरकतों का एकजुटता से सामना करें.

राजा टेक्सटाइल में हड़ताल जारी: रामपुर की राजा टेक्सटाइल के मजदूर 24 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. सीटू की उत्तर प्रदेश राज्य शाखा के अध्यक्ष हरसहाय सिंह व महासचिव दौलत राम ने 27 जनवरी को दिए संयुक्त बयान में मजदूर-विरोधी रवैया अपनाने के लिए फैक्ट्री के प्रबंधकों की निंदा की है व मांग की है कि मजदूरों की जायज मांगों पर जल्द फैसला लिया जाए. □

लाल झंडा यूनियन का दिल्ली में बढ़ता प्रभाव

जनरल मजदूर लाल झंडा यूनियन (सीटू) के झंडे तले मजदूरों ने कई सफल संघर्ष किए हैं. हाल ही में, विशाल बाइंडिंग हाउस तथा राम बुक बाइंडिंग हाउस के कर्मचारियों ने दो महीने लगातार संघर्ष करने के बाद तालाबंदी के दौरान का 50 प्रतिशत वेतन, नियमित नौकरी तथा तीन साल का बोनस हासिल किया.

एलाइड पब्लिशर्स के मजदूर, एक महीने तक संघर्ष करने के बाद 10.5 प्रतिशत बोनस तथा अन्य सुविधाएं पाने में सफल रहे. हिंदुस्तान इलीमिनेटर्स और इंडियन पाइप इंडस्ट्रीज के मजदूर, मालिकान द्वारा मुअत्तिल किए गए अपने साथियों को काम पर वापस लेने के लिए संघर्षरत हैं. इससे पहले भी हुए कई संघर्षों को इन कालमों में प्रकाशित किया गया है.

जनरल मजदूर लाल झंडा यूनियन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मालिकान तथा अधिकारियों ने इकट्ठा होकर तथा पुलिस की सहायता से दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भय का वातावरण फैला रखा है. इस बढ़ते पुलिस दमन के खिलाफ लगभग 300 मजदूरों ने 30 जनवरी को मोती नगर पुलिस स्टेशन के बाहर एक प्रदर्शन आयोजित किया और मजदूरों पर थोपे गए झूठे आरोपों को वापस लेने की मांग की.

25 जनवरी को श्रम-आयुक्त के कार्यालय के बाहर कीमत-वृद्धि, अपर्याप्त राशन तथा पुलिस दमन के खिलाफ एक प्रदर्शन आयोजित किया गया.

लेकिन कुछ यूनियन विरोधी तत्व, यूनियन की एकता को तोड़ने के लिए कुछ झूठी खबरें प्रकाशित करवा रहे हैं जिसका यूनियन के महासचिव पूरन चंद ने खंडन किया है. इसके बावजूद, यूनियन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अनेक मजदूर इसके नेतृत्व में संगठित हो रहे हैं. □

असम सीटू की बैठक

सीटू की असम राज्य कमेटी की 13 फरवरी को कोकराजार में एक बैठक हुई जिसकी असम सीटू के अध्यक्ष सुरेन हजारिका ने अध्यक्षता की.

सीटू सचिव एम. के. पंधे ने बैठक का उद्घाटन करते हुए मजदूर वर्ग के बढ़ते संघर्ष के बारे में विस्तार से बताया. मालिकान व सरकार के हमलों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने इन आक्रमणों का मजदूरों द्वारा जबरदस्त मुकाबला किए जाने पर प्रकाश डाला.

बैठक में, लोको रनिंग स्टाफ तथा जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के संघर्षों के समर्थन में, ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों पर, कीमत-वृद्धि के खिलाफ, आदि पर कई प्रस्ताव अपनाए गए.

असम चाय मजदूरों का 14-15 फरवरी को एक सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता भी सुरेन हजारिका ने की. सम्मेलन में पुलिस-गोली-कांड के खिलाफ, आदि पर प्रस्ताव अपनाए गए. 15 फरवरी को एक विशाल जन रैली आयोजित की गई. □

कॉफी मजदूरों का सम्मेलन

कॉफी बोर्ड लेबर यूनियन का 12वां अखिल भारतीय सम्मेलन 11 से 13 दिसंबर को मद्रास में हुआ. सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर प्रस्ताव पास किए गए जिनमें प्रमुख हैं—बी. एंड. सी. मिल्ज को सरकार अपने हाथ में ले, काफी का निर्यात व भूसे के विक्रय का काम बोर्ड स्वयं संभाले, बोर्ड पर मजदूरों को प्रतिनिधित्व मिले, तीसरे वेतन आयोग रिपोर्ट को संशोधित किया जाए, बोनस, वर्दियों, पदोन्नति के अवसर तथा ओवरटाइम भत्ता जैसी सुविधाएं मिलें आदि.

सम्मेलन में एक कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन किया गया. इसके अध्यक्ष संसद सदस्य ई. बालानंदन महासचिव एम. ए. जाफर चुने गए. □

ए. आई. एन. ई. ए. द्वारा वेतन जाम नीति का विरोध

आल इंडिया न्यूजपेपर एंप्लाईज फेडरेशन की केंद्रीय वर्किंग कमेटी की बैठक 25-26 जनवरी को बंबई में हुई. बैठक में सरकार द्वारा वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के भाग 12 (2) के तहत दिए गए प्रस्ताव के प्रति तीखा गुस्सा जाहिर किया गया जिसके अनुसार महंगाई सूचकांक के प्रति बिंदु पर 1.30 रु० भत्ता मिलेगा व 329 से 363 तक के सूचकांक में 34 बिंदु काट दिए जायेंगे. इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप समाचारपत्र कर्मचारियों के वेतनों में भारी कमी हो जाएगी.

बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित महंगाई भत्ता स्कीम के पीछे राजनीति छुपी हुई है. यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित वेतन-निर्धारण कानूनों का उल्लंघन है और इसका उद्देश्य भारत के मजदूर वर्ग पर वेतन जाम थोपना है.

बैठक में वेतनमानों, आवास भत्ता तथा रात्रि-पाली भत्ता आदि मुद्दों पर भाग 12 (1) के तहत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश को लागू करवाने में आ रही देरी व अड़चनों पर चिंता प्रकट की गई.

बैठक में कर्मचारियों का आह्वान किया गया कि वे सरकार की वेतनजाम नीति का विरोध करने व समाचारपत्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर हो रहे हमलों को नाकाम करने के लिए देश-व्यापी संघर्ष की तैयारी करें. बैठक में फेडरेशन के अध्यक्ष व महासचिव को यह अधिकार दे दिया गया कि यदि सरकार महंगाई भत्ता, आवास भत्ता व रात्रिपाली भत्ता जैसे जरूरी मुद्दों पर कर्मचारियों को न्याय दिलवाने में कोताही करती है तो वे हड़ताल का आह्वान कर दें.

बैठक में बंगलौर के सार्वजनिक संस्थानों के कर्मचारियों के संघर्ष को पूरा समर्थन दिया गया जो दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. इसमें बंगलौर बंद के दिन हुई पुलिस गोली-कांड की भी निंदा की गई जिसमें 4 मजदूर मारे गए थे.

बैठक में हिंदी दैनिक 'भारत' व इलाहाबाद के 'भारती भंडार' को गैर-कानूनी रूप से बंद किये जाने पर चिंता व्यक्त की गई. इन पत्रों के बंद होने से लगभग 100 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं. □

फार्म 4

1.	प्रकाशन स्थान :	6, तालकटोरा रोड, नयी दिल्ली-110001
2.	प्रकाशन अवधि :	मासिक
3.	मुद्रक का नाम :	एम. के. पंधे
	क्या भारत का नागरिक है ?	हां
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	×
	पता :	6, तालकटोरा रोड, नयी दिल्ली-110001
4.	प्रकाशक का नाम :	एम. के. पंधे
	क्या भारत का नागरिक है ?	हां
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	×
	पता :	6, तालकटोरा रोड, नयी दिल्ली-110001
5.	संपादक का नाम :	एम. के पंधे
	क्या भारत का नागरिक है ?	हां
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	×
	पता :	6, तालकटोरा रोड, नयी दिल्ली-110001
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों :	सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज 6, तालकटोरा रोड, नयी दिल्ली-110001

मैं एम. के. पंधे, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

एम. के. पंधे

ता० 25 फरवरी 1981 प्रकाशक के हस्ताक्षर

स्लेट पेंसिल...

[शेष पृष्ठ सात से]
हो जाएंगे व उनके बाद उनके बच्चे अमानवीयता व शोषण की इस प्रक्रिया का एक हिस्सा बनकर मौत की ओर बढ़ते जायेंगे.

सरकार सिलिकोन पेंसिल उद्योग को सिलिकोन धूल को रोक सकने वाली मशीनों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देती है. जनवरी 1980 में राज्य विधान सभा ने कानून पास करके ऐसी मशीनों को लगाना जरूरी कर दिया है. किंतु इसके बावजूद मालिक ऐसा नहीं कर रहे हैं. रतलाम से सरकारी अदालत सप्ताह में केवल एक बार मंदसौर आती है. अदालत के सामने मजदूरों के 58 मामले काफी समय से पड़े हुए हैं. कोई नहीं जानता कि इन मामलों पर कब फैसला दिया जाएगा. इन मजदूरों के पास एक ही रास्ता है और वह है देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन का एक हिस्सा बनकर संघर्ष करें. □

हिंदुस्तान केबल्स में हड़ताल जारी

सीटू, एटक, एच एम एस और इंटक यूनियनों के नेतृत्व में हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के रूपनारायणपुर यूनिट, पश्चिम बंगाल के लगभग 4,000 मजदूर 5 फरवरी से अपनी 10 सूत्री मांग-पत्र जिसमें 11 फरवरी 1980 के समझौते के अनुसार पदोन्नति, न्यूनतम वेतन में वृद्धि, बोनस, मकान तथा चिकित्सा सुविधाएं तथा लंबे अरसे से चली आ रही अन्य मांगें शामिल हैं, के समर्थन में अनिश्चत कालीन हड़ताल पर हैं. इससे पहले 3 और 4 फरवरी को अतिरिक्त श्रमायुक्त के समक्ष हुई बातचीत मालिकान के अड़ियल रवैये के कारण असफल रही जिसके परिणाम-स्वरूप मजदूरों को अनिश्चतकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ा. □

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)
पी. राममूर्ति मनोरंजन राय
नीरेन घोष सुधीन कुमार
एम. के. पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी-52, 53 डीडीए शैड्स, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित